(165)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

II/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2018/1545 राजस्व निगरानी कं ............

ललित योगी, एडवोकेट

आत्मज श्री देवनाथ योगी आयु लगभग 38 वर्ष

जाति–नाथ, निवासी एंव कृषक ग्राम नंदकोट,

तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र. --- निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती कमला बाई पत्नि मदनलाल
   आयु 60 वर्ष, जाति–नाथ,
2. शांतिबाई पत्नि देवनाथ
   दोनों निवासीगण–ग्राम नंदकोट,
   तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
3. श्रीमती आरती बाई पत्नि कमलेश
   जाति नाथ निवासी–ग्राम बगलिया,
   जबलपुर गेट के पास, अम्बेडकर नगर,
   इटारसी, हाल मुकाम–ग्राम बरखेडा,
   नेहरू मार्केट 54–ए–2, ई सेक्टर,
   भोपाल म.प्र.

--- विपक्षीगण

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 1/3/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-3-18 नियत। 1-3-18 कार्यालय अधीक्षक राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–3

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.01.2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं आदेश दिनांक 30.07.14 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नसरूल्लागंज अपील कं 26 एवं 28/2013–14 ग्राम नंदकोट, तहसील नसरूल्लांगज जिला सीहोर म.प्र.**

महोदय जी,

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

निंरतर....2

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सीहोर / भू.रा / 2018 / 1545

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27-3-18 | आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 553 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.01.18 एवं अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लांगज का प्रकरण कमांक 26 एवं 28 / अपील / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.7.14 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 14 / अ–6 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.3.14 द्वारा वसीयत के आवेदन को स्वीकार किया जाकर नामांतरण के आदेश पारित किये गये। जिसे अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लांगज द्वारा प्रकरण कमांक 26 / अपील / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.7.14 के द्वारा अपील स्वीकार की गई जिसके विरूद्व अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के यहां अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लांगज का आदेश निरस्त करते हुये अपील निरस्त की इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। | |

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया है, इसके पूर्व नायब तहसीलदार को मृतक के उत्तराधिकारियों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है जबकि वह हितबद्व पक्षकार हैं। प्रकरण में उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। अतः अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 553/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.01.18 एवं अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लांगज का प्रकरण कमांक 26 एवं 28/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.7.14 नायब तहसीलदार नसरूल्लागंज का प्रकरण कमांक 14/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.3.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार नसरूल्लागंज जिला सीहोर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में नये सिरे से उभयपक्ष को (वसीयतग्रहीता एवं मृतक के उत्तराधिकारियों को) सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। पक्षकार सूचित हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य